न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर :– **164/2025**

GCMS NO. 2024/334

1. रामनिवास पुत्र सरदाराराम
2. कृष्णकुमार पुत्र हजारीलाल
3. कृष्णा देवी पुत्री हजारीलाल
4. मुकेश कुमार पुत्र हजारीलाल
5. मातादीन पुत्र सरदाराराम
6. रामेश्वर पुत्र हजारीलाल
7. रोशन देवी पुत्री हजारीलाल
8. शारदा देवी पुत्री हजारीलाल
9. संता देवी पुत्री हजारीलाल
10. सरोज देवी पुत्री हजारीलाल
11. हरप्यारी देवी पत्नी हजारीलाल

जाति गुर्जर निवासी नांगलिया गुर्जरवास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.

................**प्रार्थीगण**

– बनाम –

1. शीशराम पुत्र चन्द्राराम जाति गुर्जर निवासी नागलिया गुजरवास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.
2. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैकं शाखा बसई जरिये शाखा प्रबन्धक
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार खेतड़ी

.... **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128/111 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री ग्यारसीलाल गुर्जर– अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत– अभिभाषक अप्रार्थी सं0 01 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक :–** 02/12/25

उपर्युक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम नागलिया गुजरवास पटवार हल्का नागलिया गुजरवास तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता सं. 224 में दर्ज ख. नं. 907 रकबा 0.43 है. के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख. नं. 907 रकबा 0.43 है. के दक्षिण दिशा की मेढ के साथ साथ अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि ख.नं. 908 रकबा 0.93 हैक्टर सीवं जोड़ स्थित है जिस पर अप्रार्थी सं. 1 काबिज काश्त है। प्रार्थीगण की भूमि ख. नं. 907 रकबा 0.43 है. की दक्षिणी सीमा अप्रार्थी सं. 1 के खेत ख. नं. 908 के साथ लगती है जो प्रार्थीगण के खेत ख. नं. ख. नं. 907 रकबा 0.43 है. की दक्षिणी सीमा के साथ तोड़ फोड़ करता रहता है व सीमा को तोड़ देता है व प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 को सीमा ठीक करने के लिये कहते है तो वह नहीं मानता व मारपीट करने पर आमादा हो जाता है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार खेतड़ी को सीमाज्ञान करवाने हेतु आवेदन पेश किया जिस पर तहसीलदार खेतड़ी ने पटवारी हल्का नागलिया गुजरवास के नाम से प्रार्थीगण की उक्त ख. नं. 907 रकबा 0.43 है. का सीमा ज्ञान करवाने का आदेश दिया।

तहसीलदार खेतड़ी के आदेश क्रमांक 2025/6730/3 की पालना में पटवार हल्का नागलियागुजरवास ने दिनांक 23.05.2025 को प्रार्थीगण की भूमि ग्राम नागलियागुजरवास के ख. नं. 907 रकबा 0.43 हैक्टर का सीमाज्ञान मौके पर उपस्थिति मौतबीरान के समक्ष कराया और मौके पर उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये एवं सीमा चिन्ह कायम किये गये। प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान के अनुसार उसी रोज अपने खेत 907 रकबा 0.43 है.,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 16:01:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

के साथ दक्षिणी सीमा की तोडी हुई सीमा को ठीक कर दिया। प्रार्थी सं. 1 उक्त सीमा ज्ञान को नहीं मान रहा है तथा अप्रार्थी सं0 1 मौका देखकर प्रार्थीगण की भूमि 907 रकबा 0.43 है., की दक्षिणी सीवं को तोड देता है एवं सीमा चिन्हो को नष्ट कर देता है। जब प्रार्थीगण मना करते है तो मारपीट करने पर आमादा हो जाता तथा अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थीगण के खेत ख. नं. 907 की दाणी सीमा/डोला को तोड़कर गत सप्ताह प्रार्थीगण की भूमि में घुस गया। इसलिये यह आवेदन पत्र प्रार्थीगण के खेत 907 रकबा 0.43 है0 की पत्थरगढी करवाने हेतु पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की वाके ग्राम गोठड़ा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि ख. नं. 132 रकबा 0.72 है. की उत्तरी, पूर्वी, व दक्षिणी सीमा जो ख. नं. 1329/68, 918/69, 131, 135, 134, 133 के साथ लगती है, तथा ख. नं. 837/414 रकबा 0.39 हैक्टर की पश्चिमी सीमा जो ख. नं. 1311/1235, 1321/1271, 1308/1233, 1232/433 के साथ लगती है। उक्त खसरा नम्बरो की सर्वेसीट से नपती करवाकर प्रार्थी की भूमि ख. नं. 132 रकबा 0.72 है.की उतरी, पूर्वी, व दक्षिणी सीमा पर तथा ख. नं. 837/414 रकबा 0.39 हैक्टर की पश्चिमी सीमा पर पुख्ता सीमेन्ट व पत्थर के पिलर लगवाने का आदेश दिया जावे ।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 908 का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी किये जाने के बाबत निवेदन किया है।

प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल फर्द मौका रिपोर्ट पटवार हल्का नांगलिया गुजरवास दिनांक 23.05.2025 एवं नकल जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या नया 224, 178 एवं खसरा नक्शा एवं जमाबंदी खसरा नं0 907 ग्राम नागलियागुजरवास और प्रति आधार कार्ड वादी सं0 05 मातादीन पुत्र सरदाराराम पेश की गई।

पत्रावली पेश हुई। विद्वान योग्य अधिवक्ता उभयपक्षकारान उपस्थित। बहस समाहत की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया।

–: आदेश :–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया जाता है कि वाके ग्राम नागलियां गुजरवास तहसील खेतडी स्थित भूमि के खसरा नम्बर 907 रकबा 0.43 है. फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 23.05.2025 के आधार पर सर्वेसीट से उभय पक्षकरान की उपस्थिति में पुनः नपती करवाकर 1000/– रूपये फीस पर सीमा कायम कर सीमांकन के सम्यक् समाधान उपरान्त प्रार्थीगण के खर्चे पर सीमाचिन्ह, पत्थरगढी कायम कराए जाने के आदेश दिया जाता है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि वाके ग्राम नांगलिया गुजरवास स्थित भूमि खसरा नम्बर 908 का नियमानुसार सीमाज्ञान राशि राजकोष में जमा उपरान्त उभय पक्षकारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान किये जाने के आदेश दिया जाता है। पालना रिपोर्ट यथाशीघ्र भिजवायें।

यह आज तारीख ....04/12/25.... को हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 15:01:52 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं